संचिका सं0–7 / बजट–46–06 / 2026 – 240 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 06 / 07 / 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना में Lift (4 nos) एवं HVAC का Operation & Maintenance कार्य के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा व्यय हेतु आकलित कुल राशि रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र के व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–239(7A) एवं दिनांक–06/07/2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना में Lift (4 nos) एवं HVAC का Operation & Maintenance कार्य के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा व्यय हेतु आकलित कुल राशि रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र के व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा उक्त कार्य, विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–239(7A) एवं दिनांक–06/07/2026 के कंडिका 4 में निहित शर्त्तों के अधीन किया जायेगा।

3– इस योजना के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0039–अस्पतालों एवं औषधालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–20–2210011100039 अन्तर्गत विषय शीर्ष 27–02–अनुरक्षण एवं मरम्मत ईकाई मद मे उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007, विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10– आवंटन CFMS के माध्यम से अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.7.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–7/बजट–46–06/2026 - 240(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक– 06/07/2026

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.7.26.

सरकार के अपर सचिव।